

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-11/2013 - 108

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर/हजारीबाग;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता -सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 30-10-13

विषय :- माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड-49P470180800460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

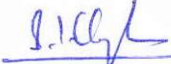
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग / 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य /	800-अन्य व्यय / 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण / 43 अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण 49P470180800460543	66.16

आवंटित राशि - ₹ छियासठ लाख सोलह हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध रु. 800.00 लाख (आठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-2 में अंकित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

108

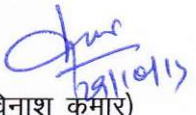
राँची, दिनांक :-

30-10-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू, राँची/कोषागार पदाधिकारी,

डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर/गढ़वा/हजारीबाग/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

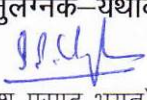
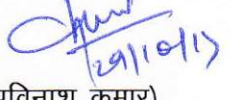
108

राँची, दिनांक :-

30-10-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

 (सुरेश प्रसाद भगत) सहायक अभियंता
 (मुक्ति साधन बौरसिया) उप सचिव (अभि.)
 (सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि.)
 (बी. सी. निगम) विशेष सचिव
 (अविनाश कुमार) सचिव

विभागीय पत्रांक.....(७४).....

दिनांक ३०-१०-१७ का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, 49P470180800460543

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध 800.00 लाख (आठ करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति				
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	मेदिनीनगर	झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्योषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णांकित कार्य	231.81	30/13-14 प्र०स्वी० दिनांक 26.08.2013	0.00	0.00	25.00	25.00	आवंटित राशि परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों हेतु				
2	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा					0.00	0.00	14.00	14.00					
3	रूपाकण प्रमंडल सं०-1, मेदिनीनगर					0.00	0.00	1.50	1.50					
4	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	हजारीबाग				0.00	0.00	6.00	6.00					
5	जलपथ प्रमंडल, बरही					0.00	0.00	1.40	1.40					
6	तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट					0.00	0.00	18.26	18.26					
कुल योग						0.00	0.00	66.16	66.16					
आवंटित राशि - ₹ छियासठ लाख सोलह हजार मात्र।														

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव(अविनाश कुमार)
सचिव

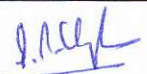
पत्रांक :- 108 दिनांक 30-10-17 का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड- 49P470180800460543

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	8	9	10	5
1	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णांकित कार्य	प्रमंडल अंतर्गत 18 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (मलय जलाशय योजना, बुटनडूबा जलाशय योजना, टेमराइन जलाशय योजना, सदावह सिंचाई योजना, जिन्जोई सिंचाई योजना, चाको सिंचाई योजना, बिरहा सिंचाई योजना, रामघाट सिंचाई योजना, घाघरी सिंचाई योजना, सोनारे सिंचाई योजना, पीरी सिंचाई योजना, अपरकरवार सिंचाई योजना, बतरे जलाशय योजना, चोरडंडा सिंचाई योजना, हरही सिंचाई योजना, रानीताल सिंचाई योजना, नार्थ कोयल जलाशय योजना, नकटी नाला जलाशय योजना)	0.00	25.00	25.00	
2	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णांकित कार्य	प्रमंडल अंतर्गत 13 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (अन्नराज जलाशय योजना, धनकाई जलाशय योजना, सरस्वतिया सिंचाई योजना, चिरका जलाशय योजना, दानरो जलाशय योजना, फुलवरिया जलाशय योजना, बाँधी बांकी सिंचाई योजना, बाँधी बांकी जलाशय योजना, पण्डरवा जलाशय योजना, उत्तमाही जलाशय योजना, बभनीखोंड जलाशय योजना, चटनियाघाट जलाशय योजना, कवलदाग सिंचाई योजना)	0.00	14.00	14.00	
3	रूपाकण प्रमंडल सं०-1, मेदिनीनगर		बटाने जलाशय योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान।	0.00	1.50	1.50	
4	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णांकित कार्य	प्रमंडल अंतर्गत 11 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (घाघरा जलाशय योजना, गोडा जलाशय योजना, बौधा जलाशय योजना, लोटिया जलाशय योजना, जमुनिया जलाशय योजना, कुटिपिसी जलाशय योजना, जुगरा सिंचाई योजना, लपसिया सिंचाई योजना, हिरु जलाशय योजना, दुलकी जलाशय योजना, गोलाई जलाशय योजना,)	0.00	6.00	6.00	
5	जलपथ प्रमंडल, बरही	झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण एवं अन्य कर्णांकित कार्य	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (बरही जलाशय योजना, बक्सा जलाशय योजना, अंजनवा जलाशय योजना, उसरी जलाशय योजना)	0.00	1.40	1.40	


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(अविनाश कुमार)
सचिव

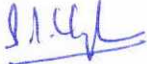
पत्रांक :- 108 दिनांक 30-10-13 का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड- 49P470180800460543

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	8	9	10	5
6	तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट	झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुक्षण एवं अन्य कर्णीकित कार्य	प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान। (गोबई बराज योजना, खुदिया वियर योजना, तेनु बोकारो नहर)	0.00	3.50	3.50	
			प्रमण्डलांतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में तेनुघाट डैम/स्पीलवे, गैस्ट हाउस, अंचलीय कार्य की सुरक्षा हेतु।	0.00	14.76	14.76	
योग				0.00	66.16	66.16	
कुल राशि – ₹ छियासठ लाख सोलह हजार मात्र।							


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(अविनाश कुमार)
सचिव